

कोचगि संस्थानों के लिये शिक्षा मंत्रालय के दशानरिदेश

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने कोचगि संस्थानों को वनियमलि करने और नरिजी कोचगि संस्थानों की अनरियंत्ररि वृद्धिपर प्रबंधरि लगाने हेतु दशान-नरिदेश प्रस्तुत कयि हैं ।

कोचगि संस्थानों के लयि प्रमुख दशान-नरिदेश क्य़ा हैं?

- **आयु संबंधी प्ररिबंध:** कोचगि संस्थानों पर **16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के नामांकन** पर प्ररिबंध लगाया गया है । माध्यमकि वरिद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद ही छात्रों को नामांकन की अनुमरि होगी ।
- **शिक्षकों की योग्यता:** इन संस्थानों के शिक्षकों के पास कम-से-कम स्नातक की योग्यता होनी चाहयि, नैतकि अधमता के दोषी व्यक्तयिों को नयिक्त करना नषिदिध है । नैतकि अधमता का अर्रथ है- सामाजकि कल्याण के वषिरीत कयिा गया कार्य ।
- **झूठे वारिों और आशवासन पर नरियंत्रण:** कोचगि संस्थानों को **भ्रामक दावे करने, रैंक की गारंटी देने अथवा अच्छे अंकों का आशवासन देने के संबंध में भी नरिदेश जारी कयि गए हैं ।**
 - कोचगि की गुणवत्ता, सुवधिओं अथवा परणामों के संबंध में भ्रामक वरिज्ञापन प्रस्तुत करना सख्त वर्रजति हैं ।
- **वेबसाइट अद्यतन:** कोचगि संस्थानों के पास शिक्षक योग्यता, पाठ्यक्रम, अवधि, छात्रावास सुवधिओं एवं शुल्क संबंधी अद्यतन जानकारी प्रदान करने वाली एक वेबसाइट होनी आवश्यक है ।
- **मानसकि स्वास्थय:** छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या के जवाब में, उक्त दशान-नरिदेश कोचगि संस्थानों में मानसकि स्वास्थय को प्रारथमकिता देने की आवश्यकता पर बल देते हैं ।
 - इसके अंतर्गत एक परामर्रश परणाली स्थापति करना, मनोवैज्ञानिकों और परामर्रशदाताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मानसकि स्वास्थय संबंधी मुद्दों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है ।
- **शुल्क वनियम:** उचरि टयूशन फीस की व्यवस्था और कसिी छात्र द्वारा समय से पूरव पाठ्यक्रम छोड़े जाने की स्थरिति में उसे आनुपातकि आधार पर रफिंड प्रदान कयिा जाना चाहयि ।
- **समावेशी नीतरयिों:** कोचगि संस्थानों में धर्रम, नस्ल, जात, लगी, जन्म स्थान अथवा वंश के आधार पर कसिी प्रकार का भेदभाव नहीं कयिा जाना चाहयि ।
 - महिला छात्रों, दरियांगजनों और उपेक्षरि समूहों के प्ररिनिधैरित्व में वृद्धाकरण हेतु वरिष प्रयास कयि जा सकते हैं ।
- **बुनयिादी ढाँचा संबंधी मानक:** 'कक्षा में प्ररि छात्र न्यूनतम एक वर्रग मीटर' जैसे अवसरचनात्मक मानक का पालन कयिा जाना चाहयि ।
 - कोचगि संस्थान भवनों को अगर्ना सुरक्षा संरिहा, भवन सुरक्षा संरिहा और अन्य प्रारसंगकि मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है ।
 - **दरियांगजन अधकिार अधनियम, 2016** के प्रारधानों का पालन करते हुए इमारतें और पररिष भी दरियांगों के अनुकूल होनी चाहयि ।
- **सरकारी नरिरीक्षण:** सरकार ने उक्त दशान-नरिदेशों के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर नए और मौजूदा कोचगि संस्थान के रजस्रिरीकरण का प्रस्ताव रखा है ।
 - राज्य सरकारों को कोचगि संस्थान की गतवधियिों की नगरिानी करने और रजस्रिरीकरण अर्रहता का अनुपालन सुनश्चरि करने का कारय सौंपा गया है ।
- **सुरमाना:** रजस्रिरीकरण अथवा सामान्य शर्रतों के कसिी भी नयिम और शर्रतों के उल्लंघन के मामले में, कोचगि संस्थान नमिानुसार दंड के लयि उतररदायी होगा:
 - प्रथम अपराध के लयि 25,000/- रुपए
 - दरितीय अपराध के लयि 1,00,000/- रुपए
 - पुनः उल्लंघन के लयि रजस्रिरीकरण रद्द कयिा जाना ।

नोट: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कोचगि का अर्रथ 50 से अधकि छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की कसिी भी शाखा में टयूशन, नरिदेश अथवा मार्गदर्शन से है, करिि इसमें परामर्रश, खेल, नृत्य, थरिटर और अन्य रचनात्मक गतवधियिों शामिल नहीं हैं ।

